राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छीतर बनाम झूमा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/04/2026 को पेश हो।	
09/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की रिकार्डेड खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खंसरा नम्बर 118 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा ग्राम धौला तहसील जमवारामगढ़ में स्थित है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा ग्राम धौला मे स्थित है। जो प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 118 के उत्तरी दिशा में लगवा स्थित है। प्रार्थीया की भूमि मे आवागमन का रास्ता भूमि खंसरा नम्बर 119 मे से होकर आती जाति है। जो खसरा नम्बर 119 की पूर्वी सीमा में होकर स्थित है जिसे मिलान नजरी नक्शे मे गुलाबी रंग से दर्शित किया गया है प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 118 मे आने जाने हेतु जो रास्ता खसरा नम्बर 119 मे से होकर बना हुआ है उसी का उपयोग खसरा नम्बर 129, 121, के खातेदार ही करते है जो खसरा नम्बर 118, 119 की पूर्वी दिशा मे बने रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीया को उक्त भूमि खंसरा नम्बर 119 मे बने रास्ते की अतिआवश्यकता है इसके अतिरिक्त प्रार्थीया के लिये अपने खेत मे आवागमन का अन्य कोई विकल्प नही है, उक्त खसरा नम्बर मे से करीब 15 फिट चौडाई, 350 फिट लम्बाई का रास्ता है। इस रास्ते से अन्य खसरा नम्बर के खातेदार भी उपयोग उपभोग करते आ रहे है लेकिन रास्ता नक्शे मे दर्ज नही होने के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती है। जिससे खातेदारो को विवाद न हो रास्ते को राजस्व नक्शे मे दर्ज करवाना आवश्यक है। प्रार्थीया के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह उक्त रास्ते को विधिवत रिकार्ड मे दर्ज करवाये एवं निधारित प्रकिया के तहत खसरा नम्बर 119 की भूमि मे से रास्ते के उपयोग की भूमि का निर्धारित मुल्याकंन अदा कर श्रीमानजी से उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ता कायम करवाने एवं रास्ते के उपयोग हेतु पृथक खाते मे दर्ज करवाने के आदेश फरमाये। प्रार्थना पत्र के अन्त में ईस्तुगा चाही गयी कि प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण की सलग्न नजरी नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 119 ग्राम धोला में से पूर्वी दिशा में होकर करीब 15 फीट चौड़ाई व 350 फीट लम्बाई का रास्ता खसरा नम्बर 118 में जाने हेतु कायम किया	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छीतर बनाम झूमा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

968/2017

जाकर उक्त रास्ते की भूमि को गौर मुमकिन रास्ता पृथक से कायम किये जाने का अनुतोष चाहा गया |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की और से अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता ने U.T. पेश की | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट धोला में नियत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/06/2017 एवं संधोधित आदेश दिनांक 01/09/2017 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पारित निर्णय की जानकारी एवं डिले कन्डोन हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित किया जाना प्रकट होता है एवं कथनों की पुष्ठी स्वरूप अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया गया है, जिससे उनके कथनों की पुष्ठी होती हो | ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का लाभ प्राप्त करने के अपीलार्थी हक़दार जाहिर नही होते है | जहाँ तक गुणावगुण का प्रशन है तो इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से उसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसेमें अपीलाधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मियाद बाहर धारित कर एवं गुणावगुण पर भी बलहीन होने से ख़ारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15/06/2017 एवं 01/09/2017 यथावत रखा जाता है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |